आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 92/2024 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

विष्णु शर्मा पुत्र श्री घासीराम शर्मा निवासी मकान नम्बर 4, काकरोदा, किशोरपुरा, मुण्डिया रामपुरा, जिला जयपुर ।

प्रार्थी ऋणी

उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक शाखा जयपुर ।

अप्रार्थी वित्तीय संस्था

रिव्यु प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण संख्या 936/2022 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट) ब उनवानी उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक बनाम विष्णु शर्मा आदेश दिनांक 30.12.2022 को खारिज किये जाने।

उपस्थित–

1. श्री राजेन्द्र बैंसला अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री भवानी सिंह नरूका अधिवक्ता अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक 28.05.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस न्यायालय में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 936/2022 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट) ब उनवानी उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक बनाम विष्णु शर्मा में पारित आदेश दिनांक 30.12.2022 को निरस्त/रिकाल किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी वित्तीय संस्था को नोटिस जारी किया गया। मूल मिसल शामिल की गई। अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से अधिवक्ता श्री भवानी सिंह नरूका ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण से अप्रार्थी वित्तीय कम्पनी द्वारा उक्त ऋण प्रदत्त किये जाते समय छोटे छोटे अंग्रेजी के अक्षरों मे छपे हुये अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त ऋण अनुबन्ध मे क्या–क्या लिखा हुआ था तथा उसकी क्या–क्या शर्ते थी ? इस सम्बन्ध में भी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं दी गई ना ही उक्त ऋण अनुबन्ध पत्र का अप्रार्थीगण को मांगे जाने के बावजूद भी हिन्दी भाषा में रूपान्तरण ही उपलब्ध करवाया गया । मनमर्जी अनुसार ब्याज एवं पेनल्टी की गणना कर उक्त प्रकरण झूंठा एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा उक्त प्रकरण की प्रस्तुति से पूर्व अप्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कम्पनी द्वारा ऋणियों को किसी प्रकार की कोई पूर्व सूचना भी प्रेषित नही की गई तथा ना ही मान्य न्यायालय द्वारा कोई नोटिस ही जारी किया गया। इस प्रकार एकतरफा कार्यवाही करते हुये उक्त प्रकरण का निस्तारण प्रार्थीगण के विरूद्व कर दिया गया । इसलिए उक्त प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 30.12.2022 को रिव्यू किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 30.12.2022 को रिव्यू किये जाने के आदेश फरमावें।

5- अप्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि धारा 14 सरफेशी अधिनियम 2002 के तहत पारित आदेश को रिकाल व रिव्यु किये जाने का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को हासिल नहीं है। इसके सम्बन्ध मे कई न्यायिक दृष्टान्त भी माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किये गये है। जहां तक श्रीमान के आदेश 06.12.2022 रिकाल किये जाने की कार्यवाही का प्रश्न है तो उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी को सरफेशी एक्ट 2002 की धारा 17 के तहंत माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार हासिल है। इसलिए मान्य न्यायालय के समक्ष जो रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। मान्य न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। फलस्वरूप रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अप्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 के तहत प्रार्थना पत्र के समर्थन शपथ पत्र व अन्य में आवश्यक दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश किये जाने पर विधिवत प्रकिया अपनाते हुये धारा 14 सरफेशी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बैंक के पक्ष में वन्धक सम्पत्ति का जरिये सम्बन्धित पुलिस कब्जा प्राप्त किये जाने के आदेश दिनाक 30.12.2022 को पारित किये जा चुके है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित आदेश में रिव्यू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऋणी द्वारा जो बिन्दू रिव्यु प्रार्थना पत्र में उठाये गये है, उनको तय किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नही है। प्रार्थी के रिव्यु प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु/रिकाल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक 28.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner